न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल, भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – हिमांशु गर्ग, RJS
फौजदारी प्रकरण संख्या – 09/2016
सी.आई.एस. नंबर – 09/2016
एफ.आई.आर. संख्या – 372/2015 पी.एस. माण्डल
CNR No. – RJBW170001922016

राज्य

–– अभियोगी

– विरूद्ध –

01. कल्याण पिता मूला गुर्जर उम्र 60 साल, निवासी गुर्जरों का गुढ़ा, थाना मांडल जिला भीलवाडा। (मफरूर दिनांक 11.11.2024)
02. महादेव पिता कल्याण गुर्जर उम्र 22 साल निवासी गुर्जरों का गुढ़ा, थाना मांडल जिला भीलवाडा।

––––मुलजिमान

अपराध अन्तर्गत धारा 435 भा.दं.सं.

उपस्थितः–
1. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री श्रवणलाल गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त महादेव की ओर से।

– निर्णय – **दिनांक– 13–03–2026**

घटना की दिनांक	23.11.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	23.11.2025
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	14.01.2016
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	29.04.2016
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	29.04.2016
बयान मुल्जिम लिए जाने की दिनांक	13.03.2026
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	13.03.2026
निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	13.03.2026
सजा आदेश यदि हो तो	दोषमुक्त

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी सुखदेव ने रिपोर्ट थाना मांडल में इस आशय की पेश की कि दिनांक 23–11–2015 को शाम करीब 6.30 बजे के वक्त उसकी पत्नी बदाम रोजाना की तरह खेत से पशुओ का दूध निकालते हुए घर जा रही थी उस वक्त उसकी पत्नी को कल्याण पिता श्री मूलाजी गुर्जर, निवासी गुर्जरो का गुढा एवं उसका पुत्र महादेव उसकी पत्नी को छिपकर देख रहा था उसकी पत्नी खेत से बाहर

निकलते हुए देखकर अभियुक्तगण ने खेत में आग लगा दी, इतने में लोग दौड़े चले आये तथा फायर बिग्रेड गाडी को फोन कर आग पर काबू पाया गया। आगजनी की घटना से 8 ट्रोली चारा एवं 3 ट्रोली खाखला जलकर खाक हो गया है..........आदि। जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 372/2015 अपराध अंतर्गत धारा 435 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 435 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 14–01–2016 को धारा 435 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2– अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 435 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर, अन्वीक्षा चाही।

3– अभियुक्त कल्याण पिता मूला गुर्जर दिनांक 11.11.2024 से प्रकरण में मफरूर है। इस निर्णय के द्वारा अभियुक्त महादेव के हद तक प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

अभियोजन गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01	सुखदेव	परिवादी
पी.डब्ल्यू. 02	बदाम	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू. 03	नंदलाल	तात्विक गवाह
पी.डब्ल्यू. 04	मुकुंद सिंह	एफआईआर कर्ता एवं चार्जशीट
पीडब्ल्यू 05	साबिर मोहम्मद	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू 06	गोपाल	नक्शा मौका व फोटोग्राफी
पीडब्ल्यू 07	सावंरिया	तात्विक गवाह

अभियोजन दस्तावेज सूची

क्र. सं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 02	चॉक एफआईआर
03	प्रदर्श पी 03	नक्शा मौका

4– अभियुक्त महादेव का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में किया गया तथा उसने अभियोजन साक्ष्य एवं दस्तावेजात को गलत होना बताया है। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

5– अभियुक्त ने अपीलीय न्यायालय में हाजरी बाबत् धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत छः माह की अवधि हेतु 10 हजार रूपये का स्वयं का मुचलका एवं जमानत पेश कर तस्दीक करवाये गये।

6– बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि–

1– क्या अभियुक्त महादेव ने दिनांक 23.11.2015 को शाम के करीब 6.30 बज ग्राम गुजरों का गुढ़ा स्थित फरियादी सुखदेव के खेत में फरियादी को नुकसान कारित करने के आशय से उसका खेत में पड़ा 8 ट्रॉली चारा व 3 ट्रॉली खाखला को अग्नि द्वारा जलाकर रिष्टि

कारित की जिससे फरियादी को लगभग 50 हजार रूपये का नुकसान हुआ?

2– यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डनीय होगा?

7– उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के निस्तारण हेतु बहस सुनी जाकर साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

8– दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त महादेव ने तर्क दिये कि प्रकरण के परिवादी सुखदेव ने घटना के समय स्वयं का मौके पर उपस्थित नहीं होना बताया है। गवाह पीडब्ल्यू 02 बदाम ने घटना के समय नंदा व सांवर को स्वयं के घर पर होना बताया है परंतु नंदलाल ने किसी व्यक्ति को आग लगाते हुए नहीं देखने का कथन किया है। गवाह सांवर ने तो घटना के समय बदाम देवी को मौके पर नहीं होने एवं बदाम देवी के द्वारा चुल्हे पर जलते हुए अंगारे छोड़ देने से आग लगना बताया है।अभियोजन पक्ष के गवाहों ने न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी कथन किए हैं अभियोजन पक्ष अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय के समक्ष अभियुक्त महादेव पर आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त महादेव को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9– सहायक अभियोजन अधिकारी के अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अभियुक्त को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

10– गवाह पी.डब्ल्यु–01 सुखदेव ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि करीब दस माह पहले की बात है। वह उसके बच्चे के ईलाज हेतु भीलवाडा गया हुआ था कि उसकी पत्नी ने उसे फोन पर सूचना दी कि कल्याण व महादेव ने अपने खेत में जो बाड़ा बना हुआ है, उसमें आग लगा दी है। आग लगा देने से 8 ट्रैक्टर ट्रोली चारा व 3 ट्रोली खाखला जल रहा है। उक्त सूचना पर वह गुड्डा आया। वह आया तब भी आग जल रही थी व गांव के लगभग सौ आदमी आग बुझाने में लगे हुये थे। उसने आग बुझाने वाली गाड़ी को फोन किया। उसके चारा व खाखला जलने से उसे करीब एक–डेढ़ लाख रूपये का नुकसान हुआ है। इसकी उसने थाना माण्डल में रिपोर्ट पेश की। जो प्रदर्श पी –1 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है। पुलिस वाले रिपोर्ट करने के बाद मौके पर आये थे पंचनामा बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 है। बाडा उसके मकान से व उसके दरवाजे से 5 फीट दूरी पर ही है। बाडा व खेत उसके मकान के पीछे ही है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि वह घटना के वक्त मौके पर नहीं था, भीलवाडा था। वक्त घटना उसकी पत्नी घर पर थी। उसकी पत्नी ने घटना के करीब 10 मिनट बाद फोन किया था। उसे मौके पर पहुंचने में करीब आधा घंटा लगा था। यह सही है कि उसके चारे व खाखले में आग लग जाने के बाद उची उंची लपटें उठने पर उसकी पत्नी को घटना के बारे में मालूम हुआ था। उसके मकान व सुजुकी फैक्ट्री के बीच में करीब 4 बीघा जमीन का फासला है। फैक्ट्री उसके मकान के दूसरी तरफ है। यह कहना गलत है कि उसके मकान का मुख्य द्वार व सुजुकी फैक्टी का मुख्य द्वार 40 फीट की दूरी पर है। उसे ध्यान नहीं है कि सुजुकी फैक्टी में इस घटना के कुछ दिन बाद आग लगी हो। यह कहना गलत है कि इस घटना से पहले उनके व मुलजिमान के बीच में कोई मुकदमा हुआ हो।

11– गवाह पी.डब्ल्यु–02 बदाम ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि आज से करीब दस माह पूर्व शाम के 6 बजे ग्राम गुड्डा स्थित उसके घर के पीछे बनी टीन पोश बाडे में 8 ट्रोली चारे व 3 तीन ट्रोली खाखले को कल्ला उर्फ कल्याण एवं महादेव ने आग लगा दी। उस समय में उसके बाडे में ही भैसों का चारा लेने गई थी। वह मौके पर मौजूद थी। उसने आग लगती देख चीख पुकार मचाई। गांव के गोपाल पुत्र सुखदेव जाति गुर्जर तथा अन्य कई व्यक्ति एकत्रित हो गये। गांव के अन्य व्यक्तियों के नाम ध्यान नहीं है। सब ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया नहीं बुझी फिर उसने उसके पति को भीलवाडा में टेलीफोन पर जानकारी दी। उस समय उसका पति सुखदेव उसके पुत्र का ऑपरेशन होने के कारण भीलवाडा में थे। सूचना पाकर उसका पति मौके पर पहुंचा साथ ही पुलिस की गाडी और दमकल भी आ गई। मुलजिमान ने आग लगाकर हमारा करीब पचास हजार रूपये का

नुकसान कर दिया है। दौराने जिरह अधिवक्त अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उसके घर और बाडे के बीच में दीवार बनी हुई है, जिस बाडे में घटना हुई वह बाडा उसके घर के पीछे ही स्थित है। वह बाडे का दरवाजा खोल भीतर घुसी तो उसने दोनों मुलजिमान को भागते हुये देखा। मुलजिम कल्याण ने उसके हाथ के रबर के टुकडे को माचिस की तिली से लगाकर आग लगाई थी। दोनों मुलजिमान ने घटना के दिन किस रंग के कपडे पहन रखे थे उसे ध्यान नहीं है। यह सही है कि उसके बाडे में घुसने का एक ही दरवाजा है। यह कहना गलत है कि वक्त घटना उसके पुत्र की तामीरदारी हेतु भीलवाडा अस्पताल में मौजूद हों। यह कहना सही है कि घटना के दिन दोपहर में अस्पताल में थी। घटना के समय उसके घर में दो मेहमान नन्दा व सावंरा जी आये हुये थे। यह सही है कि उसके बाडे में विद्युत कनेक्शन नहीं है। यह सही है कि घटना सर्दी के समय की है। सर्दी में दिन छोटा होता है शाम जल्दी हो जाती है, स्वंय कहा कि घटना के समय मौके पर अधेरा नहीं था। यह सही है कि मौके पर थोडा थोडा अंधेरा था। भगवान की सेवा का समय हो चुका था। यह कहना गलत है कि उसके व मुलजिमान के मध्य कोई मुकदमेबाजी चली हो केवल जानवर खेत में घुसने की बात पर छोटा मोटा विवाद हुआ था। यह कहना गलत है कि सुजुकी फैक्ट्री का गेट और उसके मकान का गेट 40–50 फीट ही दूर हो बल्कि इस न्यायालय से एसडीएम कोर्ट के जितने दूरी पर है। यह सही है कि उसके मकान के दरवाजे के पास मंदिर है। उस मंदिर के सामने वासुकी फैक्ट्री की दीवार है. स्वंय कहा कि उक्त फैक्ट्री करीब 1 साल से बंद है। वासुकी फैक्ट्री का गेट मेरे मकान से काफी दूर है। उसका लडका मोड़ा भीलवाडा में बीमार था। वह घटना के दिन दोपहर करीब 12 बजे भीलवाडा चिकित्सालय गई थी। वह हॉस्पीटल पहुंची तब वहां उसका पति, मोडा की पत्नी व राजू आदि मौजूद थे। वह भीलवाडा से करीब 5 बजे वापिस आई थी। वह शाम 5 बजे उसके पुत्र राजू की मोटरसाईकिल पर बैठकर घर आई थी जो उसे वापिस छोड़कर भीलवाडा चला गया। उसे ध्यान नहीं है कि उसे भीलवाडा से घर पहुंचने में कितना समय लगा। 1 घंटा लगा हो तो उसे पता नहीं। उसके घर पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद यह घटना हुई थी। उसने उसके पति को घटना के बारे में उसके किरायेदार बालाराम गुर्जर से फोन करवाया था। उसे उसके पति के फोन नम्बर याद नहीं है। बालाराम कंचन फैक्ट्री में नौकरी करता था। बालाराम की 15 दिन दोपहर में शिफट होती थी तथा 15 दिन रात में शिफट होती थी। यह कहना गलत है कि बालाराम वक्त घटना मौके पर मौजूद ना हो उसने फोन करके बुलाया हो। स्वंय कहा कि बालाराम उस समय घर पर ही मौजूद था। यह उसे ध्यान नहीं है कि बालाराम की उस समय दोपहर की शिफट थी या रात की थी। बालाराम मौके पर हल्ला होने के करीब 5–10 मिनट बाद आया था। यह सही है कि मौके पर सबसे पहले बालाराम ही आया था।

12– गवाह पी.डब्ल्यु–03 नंदलाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि मैं सुखदेव गुर्जर को जानता हूं। जो उसके रिश्तेदार लगते है। आज से साल भर पहले करीब वह सुखदेव जी के वहां आया था, उनके लड़के का पथरी का ऑपरेशन कराया था, जिसकी तबीयत पूछने आया था। शाम के वक्त छः साढे छः बजे करीब वह सुखदेव जी के घर पर ही था। जहां वे बैठे थे, उसके पीछे एक दरवाजा है व बाडे में चद्दर डाल रखे है। बाड़े में रखे चारा व खांखला में आग लग रही थी। वह भी वहां भागकर गया। दूसरे आदमियों ने पानी की गाड़ी को फोन किया। उसके साथ बेकलई का सांवरलाल भी था। बदाम किसी काम से पीछे गई थी, जिसने एक दम हल्ला मचाया व कहा कि कल्याण व महादेव ने आग लगा दी है। बाद में सुखदेव जी भी भीलवाडा से मौके पर आ गये।। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उसने किसी भी व्यक्ति को आग लगाते हुये नहीं देखा। वह गया था, जब तक आग की उंची लपटें उठ रही थी।

13– गवाह पी.डब्ल्यु–04 मुकुंद सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 24.11.2015 को वह एसएचओ माण्डल के पद पर तैनात था। उस रोज प्रार्थी सुखेदव गुर्जर ने एक लिखित रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की। मजरूह रिपोर्ट से

मामला 435 भा०दं०सं० का पाया जाने से, प्रकरण संख्या 372/2015 दर्ज कर तफतीश साबिर मोहम्मद एच०सी के जिम्मे की। बाद अनुसंधान साबिर मोहम्मद एच०सी द्वारा अभियुक्त कल्याण गुर्जर व महोदव गुर्जर के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 435 भा०दं०सं० प्रमाणित मान नतीजा कता करने हेतु चार्जशीट पेश की। जिस पर उसने श्रीमान् न्यायालय में चालान पेश किया। एफआईआर प्रदर्श पी–1 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है, जिस पर भी सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त को जिरह का अवसर दिया गया जिरह नही करना चाहा।

14– गवाह पी.डब्ल्यु–05 साबिर मोहम्मद ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 24/11/2015 को थाना माण्डल में हैडकानि० के पद पर कार्यरत था। उस दिनांक प्र.सं. 372/15 धारा 435 भा.द.सं की तफतीश श्रीमान एस.एच.ओ साहब द्वारा उस जरिये के जिम्मे करने से तफतीश प्रारंभ की। दौराने तफतीश घटनास्थल पर पहुंच बयान प्रार्थी व गवाहान के कथनानुसार लिये गये। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्र.पी.3 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। तफतीश से मुलजिम कल्याण गुर्जर व महादेव गुर्जर के खिलाफ धारा 435 भा.द.स. प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये जाने से मुलजिमान तफतीश कर नतीजा कताई हेतु पत्रावली श्रीमान एस.एच.ओ साहब के समक्ष पेश की। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि घटना के दिन सुखदेव भीलवाडा थी तथा उसकी पत्नी घर पर थी। यह बात सही है कि घटना के चश्मदीद गवाह नंदलाल गुर्जर, सांवरलाल दोनों रिश्तदार मौके पर थे और कोई नहीं था। यह बात सही है कि घटनास्थल चारों तरफ से पत्थर की दीवारों से चार फीट से पैक था। यह बात सही है कि मुख्य द्वार निकलने का एक ही है। उस द्वार से प्रार्थी के मकान में जाने के बाद मुख्य सडक पर आया जाता है। यह बात सही है कि प्रार्थीया मकान के पीछे घटनास्थल दर्शाया गया है। घटना के कितने दिन बाद एस.एच.ओ साहब द्वारा तफतीश दी गई, फाईल देखकर बता सकता है। फाईल देखकर बताया कि घटना के एक दिन बाद मुझे तफतीश मिली। वह घटनास्थल पर दिनांक 25/11/2015 को प्रथम बार गया था। यह बात सही है कि प्रार्थी के मकान के कुछ आगे सुजुकी फैक्ट्री का गेट है जो करीब 50 फीट की दूरी पर है। उसे जानकारी नहीं है कि उसके कार्यकाल में सुजुकी फैक्ट्री में आग लगी हो। उसके कार्यकाल से पूर्व में लगी हो तो उसे पता नहीं है। सुजुकी फैक्ट्री में चिमनी है जिससे धुआ निकलता है, यह मेरी जानकारी में है। यह बात सही है कि घटनास्थल के गस देवता का स्थान है जहां पर पूजा पाठ धूप देते है।

15– गवाह पी.डब्ल्यु–06 गोपाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 25/11/15 को एएसआई साहब साबिर मोहम्मद के कहने से वह गुर्जरों का गुढा मौके पर फोटोग्राफी करने गया था जहां पर पुलिस ने उसके सामने नक्शा मौका बनाया जो प्र.पी.03 है। पुलिस ने उसके सामने फोटो खींचे। उसके द्वारा खींचे फोटो शामिल पत्रावली है जो फोटो लगायत 01 से 04 है। घटनास्थल पर आग लगी हुई थी। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि उसने आग लगी हुई नहीं देखी। वह गया तब आग बुझ गई थी। आग किसने लगाई, उसे नहीं पता। नक्शे मौके पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। फोटोग्राफस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। पुलिस ने कोई कागज उसे लिखकर नहीं दिया।

16– गवाह पी.डब्ल्यु–7 सावंरिया ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि पांच छह साल पहले की बात है। बादाम देवी का पोता कमलेश बीमार था। कमलेश भीलवाड़ा अस्पताल में भर्ती था। बादाम देवी गुढा गांव में खुद के घर पर चुल्हे पर खाना बना रही थी। बादाम देवी खाना लेकर कमलेश के पास भीलवाड़ा अस्पताल चली गयी। बादाम देवी ने घर पर चुल्हा जलता हुआ छोड़ दिया था। चुल्हे के अंगारे से पड़े हुए चारे में आग लग गयी। वह बादाम के घर पर कमलेश के हाल चाल पूछने गया था। उस वक्त घर पर वह ही था उसने हाथों से और पानी पटककर आग बुझाने की कोशीश की पर आग नहीं बुझी। फिर

उसने बादाम देवी को फोन किया। जिस पर बादाम देवी ने आग बुझाने वाली गाडी को फोन किया। आग बुझाने वाली गाडी वहां पर आयी जिसने आग को बुझाया। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 है जिस पर ई एफ उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि जिस वक्त बादाम देवी खाना बना रही थी उस वक्त वह वहीं पर मौजूद था। यह कहना सही है कि जिस वक्त आग लगी उस समय भी वह वहीं मौजूद था। जब आग लगी उस समय उसके अलावा वहां और कोई मौजूद नहीं था। आग लगने के आधे घंटे बाद बादाम देवी और सुखदेव भीलवाड़ा से वापस आ गये थे। उसने घटना स्थल के आस पास और किसी को नहीं देखा। उसने प्रदर्श पी 03 पर हस्ताक्षर किस स्थान पर किये मुझे आज याद नहीं है। चारा और खाखला का छपरा बना हुआ था जो कि खाना बनाने वाले चुल्हे के पास ही था। वह जब वहां था तो वहां चुल्हा जल रहा था। यह कहना सही है कि उसने पुलिस में भी यही बयान दिये थे। बादाम देवी और सुखदेव के भीलवाड़ा से आने से पहले घटना स्थल पर उसने गांव के चार पांच आदमियों को आग बुझाने के लिए बुला लिया था। यह कहना सही है कि बादाम देवी और सुखदेव को मैं रिश्तेदार होने की वजह से घर पर रुका था। यह कहना सही है कि जब बादाम देवी और सुखदेव वहां गये तब मैं घर पर ही था।

17– पत्रावली पर प्रदर्शित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 सुखदेव गुर्जर द्वारा इस आशय की दर्ज करवायी गयी है कि दिनांक 23.11.2015 को शाम करीब 06.30 बजे उसकी पत्नी बदाम रोजाना की तरह खेत से पशुओं का दुध निकालते हुए घर जा रही थी उस वक्त उसकी पत्नी को कल्याण व महादेव छिपकर देख रहे थे। उसकी पत्नी को खेत से बाहर निकलते हुए देखकर अभियुक्तगण ने खेत में आग लगा दी इतने में लोग दौड़कर चले आये तथा फायर बिग्रेड गाड़ी को फोन कर आग पर काबू पाया गया। आगजनी की घटना से 8 ट्रॉली चारा एवं 3 ट्रॉली खाखला जलकर खाक हो गया....आदि।

18– उक्त तहरीरी रिपोर्ट के संबंध में पत्रावली पर आयी अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्लयू 01 सुखदेव जो कि प्रकरण का परिवादी है ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में उसके बयान से करीब 10 माह पहले की बात होने, उसका बच्चे के ईलाज हेतु भीलवाड़ा होने, उसकी पत्नी ने कल्याण व महादेव के द्वारा उनके खेत में बाड़े में आग लगा देने बाबत् फोन पर सूचना देने, आग लगा देने से 8 ट्रेक्टर ट्रॉली चारा एवं 3 ट्रॉली खाखला जलने, सूचना पर उसका गुड्ढा आने, उसके द्वारा आग जली हुई देखने, उसके द्वारा आग बुझाने वाली गाड़ी को फोन करने, उसका चारा व खाखला जलने से 1–1.5 लाख रुपये का नुकसान होने का कथन किया है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि घटना के वक्त वह मौके पर नहीं था वक्त घटना उसकी पत्नी घर पर थी। उसकी पत्नी ने घटना के करीब 10 मिनट बाद उसे फोन किया था। यह सही है कि उसके चारे व खाखले में आग लग जाने के बाद उंची–उंची लपटे उठने पर उसकी पत्नी को घटना के बारे में मालूम हुआ था। इस प्रकार गवाह पीडब्लयू 01 सुखदेव ने घटना के समय स्वयं का मौके पर नहीं होने, उसकी पत्नी का मौके पर होना बताया है। इस संदर्भ में गवाह पीडब्लयू 02 बदाम के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 02 बदाम ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि करीब उसके बयान से 10 माह पूर्व शाम के 6 बजे गुड्डा में स्थित घर के पीछे बनी टीन पोस बाडे में 8 ट्रॉली चारे व तीन ट्रॉली खाखले को कल्ला उर्फ कल्याण एवं महादेव ने आग लगा दी। उस समय वह बाडे में ही भैंसों का चारा लेने गई थी। वह मौके पर मौजूद थी। उसने आग लगती देख चीख पुकार मचाई। गांव के गोपाल तथा अन्य व्यक्ति एकत्रित हो गए। सबने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग नहीं बुझी। फिर उसने अपने पति को टेलीफोन पर सूचना दी, जिस पर पति, पुलिस की गाडी एवं दमकल मौके पर आए। मुलजिमानों ने आग लगाकर उनका करीब 50 हजार रूपये का नुकसान कर दिया। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि वह बाडे का दरवाजा खोल भीतर घुसी तो उसने दोनो मुलजिमानों को भागते हुए देखा। मुलजिम कल्याण ने उसके हाथ के रबड के

टुकडे को माचिस की तिल्ली से लगाकर आग लगाई थी। यह सही है कि उसके बाडे में घुसने का एक ही दरवाजा है। घटना के समय उसके घर में दो मेहमान नंदा व सांवरा जी आए हुए थे। बालाराम मौके पर हल्ला होने के करीब 5–10 मिनट बाद आया था। यह सही है कि मौके पर सबसे पहले बालाराम ही आया था। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 02 बदाम ने मौके पर सबसे पहले बालाराम को आना बताया है परंतु अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष ऐसे किसी बालाराम को साक्ष्य सूची में सूचीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया है। गवाह पीडब्ल्यू 02 बादाम ने मुलजिम कल्याण के द्वारा उसके हाथ के रबड के टुकड़े को माचिस की तिल्ली से लगाकर आग लगाना बताया है। जबकि गवाह पीडब्ल्यू 01 सुखदेव ने दौराने जिरह स्प्ष्ट रूप से कथन किया है कि यह सही है कि उसके चारे व खाखले में आग लग जाने के बाद उंची–उंची लपटें उठने पर उसकी पत्नी को घटना के बारे में मालूम हुआ। ऐसे में अभियोजन पक्ष के गवाहों ने न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी कथन किए हैं जो उनके बयानों पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। अभियोजन पक्ष के गवाह बदाम देवी ने कल्याण एवं महादेव के द्वारा उनके बाडे में आग लगा देना बताया है साथ ही उसके द्वारा बाडे का दरवाजे खोलकर भीतर घुसने पर दोनों मुलजिमान को भागते हुए देखने का कथन किया है जबकि गवाह पीडब्ल्यू 01 सुखदेव ने दौराने जिरह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसके चारे व खाखले में आग लग जाने के बाद उंची–उंची लपटें उठने पर उसकी पत्नी को घटना के बारे में मालूम हुआ था। इस प्रकार गवाह पीडब्लयू 01 सुखदेव के मुताबिक उसकी पत्नी बदाम को आग लगने की जानकारी आग की उंची–उंची लपटें उठने के बाद हुई।

19– बादाम देवी ने दौराने जिरह कथन किये है कि उसके घर और बाड़े के बीच में दिवार बनी हुई है जिस बाड़े में घटना हुई वह बाड़ा उसके घर के पीछे ही स्थित है। वह बाड़े का दरवाजा खोलकर घुसी तो उसने मुल्जिमानों को भागते हुए देखा। मुल्जिम कल्याण ने उसके हाथ के रबर के टुकड़े को माचिस की तिल्ली से लगाकर आग लगाई थी। यह सही है कि उसके बाड़े में घुसने का एक ही दरवाजा है। गवाह पीडब्ल्यू 03 नंदलाल ने बयानों में कथन किया है कि आज से साल भर पहले करीब वह सुखदेव जी के वहां आया था। उनके लड़के का पत्थरी का ऑपरेशन करवाया था जिसकी तबीयत पूछने आया था। शाम के वक्त 06–06.30 बजे करीब वह सुखदेव जी के घर पर ही था जहां वे बैठे थे उसके पीछे एक दरवाजा है व बाड़े में चद्दर डाल रखे है। बाड़े में रखे चारा व खाखला में आग लग रही थी वह भी वहां भागकर गया। उसके साथ बेकलई का सांवरलाल भी था। बादाम किसी काम से पीछे गयी थी जिसने एकदम हल्ला मचाया व कहा कि कल्याण व महादेव ने आग लगा दी है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी गवाह पीडब्ल्यू 05 साबिर मोहम्मद ने कथन किये है कि यह बात सही है कि घटनास्थल चारों तरफ से पत्थर की दिवारों से चार फिट से पैक था। यह बात सही है कि मुख्य द्वार निकलने का एक ही है। उस द्वार से प्रार्थी के मकान में जाने के बाद मुख्य सड़क पर आया जाता है। यह सही है कि प्रार्थीया के मकान के पीछे घटनास्थल दर्शाया गया है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि जिस स्थान पर आग लगी वह स्थान चारों तरफ से पत्थर की दिवारों से चार फिट से पैक था जिसका निकलने का मुख्य द्वार एक ही है। स्वयं बादामी देवी ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि उसके घर और बाड़े के बीच में दीवार बनी हुई है। उसके बाड़े में घुसने का एक ही दरवाजा है। बादामी देवी ने घटना के समय उसके घर पर मेहमान नंदा व सांवरा के आये हुये होने के कथन किये है। न्यायालय के मत में जबकि घटनास्थल बाड़ा चारों तरफ से दिवारों से पैक था और उसमें घुसने का एक ही दरवाजा था और आग लगाते वक्त घर में बादाम के अतिरिक्त गवाह नंदा व सांवर भी मौजूद थे तब मुल्जिमानों को भागते हुए बदाम के अतिरिक्त नंदा व सांवर के द्वारा न देखा जाना अभियोजन कहानी पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है न्यायालय के मत में यदि मुल्जिम महादेव के द्वारा परिवादी के घर के पीछे स्थित बाड़े में आग लगाने के पश्चात् वहां से भागा जायेगा तो निश्चित तौर पर या तो बाड़े में घुसने वाले

दरवाजे से निकलकर बादाम देवी के घर में से होकर भागा जायेगा या बाड़े की दीवार को कुदकर भागा जायेगा। बादाम देवी ने अपने बयानों में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि आग लगाने से मुल्जिम महादेव बाड़े से किस प्रकार भागा। बादाम देवी आग लगने के बाद चीखपुकार मचाने के कथन किये है। गवाह पीडब्ल्यू 03 नंदलाल ने बाड़े में रखे चारे व खाखले में आग लगने के समय वहां भागकर जाने के कथन किये है परंतु गवाह नंदलाल ने भी न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई कथन नहीं किये है कि मुल्जिम महादेव को उसने बाड़े में आग लगाकर भागते हुए देखा हो। यह गवाह तो स्वयं के जाने पर आग की उंची लपटें उठते हुए देखने के कथन करता है। ऐसे में बदाम देवी के कथनों की ताईद न्यायालय के समक्ष नहीं होती है।

20– गवाह पीडब्ल्यू 02 बदाम ने घटना के समय उसके घर पर दो मेहमान नंदा व सांवरा जी का आना बताया है। इस संबंध में गवाह पीडब्ल्यू 03 नंदलाल के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 03 नंदलाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में उसके बयान से करीब साल भर पहले सुखदेव जी के यहां उनके लड़के के द्वारा पथरी का ऑपरेशन करवाने पर उसकी तबियत पूछने आने, शाम के 6 बजे उसका सुखदेव के घर पर होने, वे जहां बैठे थे वहां पीछे एक दरवाजा व बाडे में चद्दर डले होने, बाडे में रखी चारा व खांखला में आग लगने, उसका वहां पर भागकर जाने, उसके साथ सांवरलाल का भी होने, बदाम के द्वारा कल्याण व महादेव के द्वारा आग लगा देने बाबत हल्ला मचा देने का कथन किया है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उसने किसी भी व्यक्ति को आग लगाते हुए नहीं देखा। वह गया था, जब तक आग की उंची लपटें उठ रही थी। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 03 नंदलाल ने उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को आग लगाते हुए नहीं देखने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 07 सांवरिया के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 07 सांवरिया ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में पांच–छहः साल पहले बदाम देवी का पोता कमलेश का बीमार होने, बदाम देवी का गुड्डा गांव में खुद के घर पर चुल्हे पर खाना बनाने, बदाम देवी का खाना लेकर कमलेश के पास भीलवाड़ा अस्पताल चले जाने, बदाम देवी के द्वारा चूल्हा जलता हुआ छोड़ देने, चुल्हे के अंगारे से पड़े हुए चारे में आग लग जाने, उसका बदाम के घर पर कमलेश के हालचाल पूछने जाने, उस वक्त उसका घर पर ही होने, उसके द्वारा हाथों से पानी पटक कर आग बुझाने की कोशिश करने परंतु आग का नहीं बुझने एवं उसके द्वारा बदाम देवी को फोन करने का कथन किया है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि जिस वक्त बदाम देवी खाना बना रही थी, उस समय वह वहीं पर मौजूद था। यह कहना सही है कि जिस वक्त आग लगी उस समय वह वहीं मौजूद था। जब आग लगी उस समय उसके अलावा वहां पर और कोई मौजूद नहीं था। आग लगने के आधे घंटे बाद बदाम देवी और सुखदेव भीलवाड़ा से वापिस घर आ गए थे। उसने घटनास्थल के आसपास किसी को भी नहीं देखा। चारा और खाखला का झपरा बना हुआ था। जो कि खाना बनाने वाली चुल्हे के पास ही था। बदाम देवी और सुखदेव के भीलवाड़ा से आने से पहले घटनास्थल पर उसने गांव के चार–पांच आदमियों को आग बुझाने के लिए बुला लिया था। इस प्रकार गवाह पीडब्लयू 07 सांवरिया ने स्पष्ट रूप से घटना के समय स्वयं का मौके पर मौजूद होने, बादाम देवी का चुल्हा जलाकर जलता हुआ चुल्हा छोड़ जाने, चुल्हे के अंगारों से आग लग जाने एवं आग लगने के समय बादाम देवी व सुखदेव का मौके पर नहीं होने एवं उसके द्वारा घटनास्थल के आसपास किसी को नहीं देखने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 07 सावंरिया ने तो घटना के समय बदाम की उपस्थिति से साफ इंकार किया है जिससे न्यायालय के समक्ष संदेह उत्पन्न होता है कि बदाम ने अभियुक्तगण को आग लगाते हुए देखा हो। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी कथन किए हैं जिससे गवाहों के बयानों पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

21– गवाह पीडब्ल्यू 01 सुखदेव ने घटना के समय स्वयं को मौके पर नहीं होना बताया है। गवाह पीडब्लयू 02 बदाम ने दौराने जिरह उनके घर दो मेहमान नंदा व सांवरा का आना

बताया है। गवाह पीडब्ल्यू 03 नंदलाल ने उसके द्वारा किसी व्यक्ति को आग लगाते हुए नहीं देखने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 07 सांवरिया ने बदाम देवी के द्वारा घर पर चुल्हा जलते हुए छोड़ जाने से अंगारों से चारे में आग लग जाने का कथन किया है साथ ही गवाह पीडब्लयू 07 सांवरिया ने घटना के समय बदाम देवी और सुखदेव को मौके पर नहीं होने एवं स्वयं के द्वारा बदाम देवी को फोन करने का कथन किया है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष यह संदेह उत्पन्न होता है कि घटना के समय बदाम देवी मौके पर मौजूद हो। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी कथन किए हैं जिससे अभियोजन तथ्यों पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

22— इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष के गवाह अभियोजन कहानी की ताईद नही कर विरोधाभासी कथन करते है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त महादेव ने दिनांक 23.11.2015 को शाम के करीब 6.30 बज ग्राम गुजरों का गुढ़ा स्थित फरियादी सुखदेव के खेत में फरियादी को नुकसान कारित करने के आशय से उसका खेत में पड़ा 8 ट्रॉली चारा व 3 ट्रॉली खाखला को अग्नि द्वारा जलाकर रिष्टि कारित की जिससे फरियादी को लगभग 50 हजार रूपये का नुकसान हुआ।

23— अतः अभियुक्त महादेव को धारा 435 भा.द.सं. के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

:: <u>आदेश</u> ::

24— अतः अभियुक्त महादेव पिता कल्याण गुर्जर उम्र 22 साल निवासी गुर्जरों का गुढ़ा, थाना मांडल जिला भीलवाडा को अपराध अंतर्गत धारा 435 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

25— अभियुक्त कल्याण पिता मूला गुर्जर को दिनांक 11.11.2024 को मफरूर घोषित किया गया है। अतः इस मुल्जिम के विरुद्ध कार्यवाही लंबित रहेगी। पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह नोट "मुल्जिम मफरूर है, पत्रावली का कोई भाग जाया नहीं किया जावे" अंकित किया जाए।

26— अभियुक्त महादेव द्वारा पूर्व में न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(हिमांशु गर्ग)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, जिला भीलवाड़ा

27— निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिमांशु गर्ग)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
माण्डल, जिला भीलवाड़ा